26.11.18

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश अपील हेतु पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित । अभिभाषक अपीलांट की दिनांक को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं अपील में बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के समक्ष राजस्व वाद वास्ते उद्घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजीयात वर्किंग खसरा नम्बर 691 रकबा 01–15–00 बीघा, 692 रकबा 01–15–00 बीघा व 693 रकबा 00–12–00 बीघा जिसके आधार खसरा नम्बर 1409/2332 रकबा 0.10 हैक्टर एवं 1410 रकबा 0.56 है0 कायम किये गए के खातेदार वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 5 के पिता श्री अब्दुल गफूर थे जिनका स्वर्गवास होने पर वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को छोड़ते हुए शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 के नाम नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 14.11.1977 को तस्दीक करवा कर जमाबंदी में अमल दरामद करवा दिया गया। जिसकी जानकारी दिनांक 14.12.2015 को जमाबंदी की नकल लेने पर हुई जिससे वाद कारण उत्तन्न हुआ। अन्त में विवादित आराजी के 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित करने का कथन किया। उक्त वाद पत्र के कथना के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 1/5 हिस्से पर ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विक्रय व हस्तातंरण

अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर 2567/17/ ... ... लवाजमा वगैरह ...

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	करने से पाबंद करने का कथन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2017 को मूल वाद तक विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान कराने के आदेश दिये गये। सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 12.07.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हांजा में प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.4950 है0 वहीद पुत्र गफर एवं खसरा नम्बर 1410/1 रकबा 0.320 है0 रामकरण पुत्र भैरू गुर्जर तथा 1410/2 रकबा 0.10 है0 मौहम्मद हुसैन पुत्र गफर के नाम बाद बंटवारा दर्ज किया गया तत्पश्चात वहीद पुत्र गफर द्वारा खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.4950 है0 में से 2023 है0 भूमि शक्ति सिंह पुत्र गजराज सिंह का विक्रय कर दी गयी जिसके नाम नामान्तकरण संख्या 273 दिनांक 22.12.2014 को तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया। तत्पश्चात शक्ति सिंह द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 07 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय कर कब्जा एवं दखल प्रदान कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 20.03.2015 को तस्दीक किया जाकर वर्तमान अपीलांट के नाम खसरा नम्बर 1410/3 रकबा 0.2023 है0 का अमल दरामद कर दिया गया। तब से अपीलांट रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज काश्त चला आ रहा हैं। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा किसी भी पंजीकृत विक्रय पत्र को आज दिनांक तक चुनौति प्रदान नहीं की गई एवं विगत 38 वर्षो में न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कभी भी काबिज नहीं रहा है और ना ही उसके द्वारा लगान दी जा रही है। मुस्लिम विधि अनुसार पुश्तैनी एवं स्वजर्जित आराजीयात में कोई अन्तर नही हैं। मूल खातेदार पुश्तैनी आराजीयात का भी रहन, बय व मुन्तकिल करने हेतु स्वतंत्र हैं तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 02 दिनांक 14.11.1977 को भी आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने एक रिकार्डे खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र वास्ते तलबी अप्रार्थी संख्या 08 व 09 हेतु नियत था। जिसमें अभिभाषक प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 08 व 09 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना प्रस्तुत करने की हिदायत दी गयी थी किन्तु अभिभाषक प्रार्थी द्वारा नोटिस तलबाना पेश नही किये गये और दिनांक 12.07.2017 को नोटिस अपूर्ण में थी और उसी दिन प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार कर मूल वाद तक अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रदान कर दिया गया जो विधि सम्मत नही हैं। दिनांक 10.04.2017 की आदेशिका की पालना नही होने के कारण प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सपठित धारा आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के अनुसार अदम तकमील में निरस्त करने के अतिरिक्त अधीनस्थ	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजमेर
256/17/2015

हेमन्त ... बनाम ...

तारीख पेशी	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
लगातार	न्यायालय के समक्ष कोई विकल्प शेष नही था। उक्त महतपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अंदाज कर प्रकरण बहस में नियत हुए बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से उसके हक में आदेश पारित किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा विस्तृत जवाब प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत किया गया था लेकिन प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विवेचन किये बिना धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के मुख्य घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त एवं कब्जे बाबत् विवेचन किये बिना अत्यन्त शुक्ष्म आदेश पारित किया हैं जो विधि सम्मत नहीं हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.07.2017 को निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट विवादित आराजी खसरा नम्बर 1410/3 रकबा 0.2023 है0 का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रेता होकर वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र जो उनके पिता के द्वारा किया गया था को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी हैं एवं पंजीकृत विक्रय द्वारा क्रेता वर्तमान अपीलांट के नाम नामान्तकरण संख्या 355 दिनांक 20.03.2015 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया था को भी आज दिनांक तक चुनौती नही दी हैं। अपीलाधीन भूमि मूल खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई हैं वर्तमान में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलांट के पक्ष में पाया जाता हैं। अपील अपीलांट की आराजी की हद तक स्वीकार योग्य हैं। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं। तत्पश्चात अपील में आदेश किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.2017, प्रकरण संख्या 125/2015 खसरा नम्बर 1410/3 रकबा 0.2023 है0 की हद तक निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	